न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :– के. आर. खोड

प्रकरण सख्याः–24 / 19 निर्णय दिनांकः–27.02.2020

1 श्रीमती बबली पिता गटू उम्र वयस्क जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.। वादीया

बनाम

1 श्री रामा पिता वजा जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.।
2 श्री मंगला पिता मोगजी जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.।
3 श्री कमलेश पिता मोगजी जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.।
4 श्रीमती मणी पत्नि मोगजी जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.।
5 श्री मरता पिता वजा जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.।
6 श्री मति लसी पत्नि गटू जाति मीणा निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपुर राज.।
7 श्री मान तहसीलदार साहब एवं उपपंजीयक महोदय तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88 ,188 व 209 राजस्थानी काश्तकार अधिनियम व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

अधिवक्ता वादी :– बालगोविन्द पाटीदार उपस्थित

अधिवक्ता प्रतिवादीः– कर्तव्य शाह उपस्थित

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीया व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। गांव पीठ के स्थायी निवासी है। मेहनत मजदुरी व कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करते है। तथा मुल पुरुष वजा मीणा के वारीसान है। तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्य होकर गरीब व अनपढ लोग है। जिनका परिवारिक सजरा निम्न प्रकार है।–

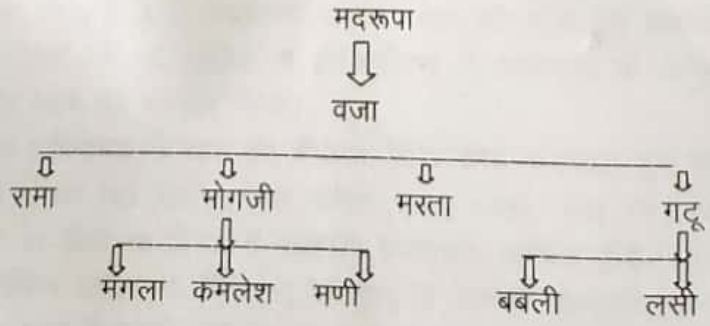

क्रमशः पेज 2 पर

a

Scanned with CamScanner

वदीया व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी ग्राम पीठ में खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीधा 16 बिस्वा होकर स्थित है। जो वादीया व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर वादीया एवं प्रतिवादीगण के पुर्वजो लगातार कब्जा होकर खेती का कार्य किया जा रहा है। और अब वर्तमान में भी कब्जा मौके पर वादीया व प्रतिवादीगण का यथावत रूप से बना हुआ है। वादीया ने संयुक्त कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजीयात पर लोन लेने हेतु वादीया ने खाते की नकले निकलवायी तो पता चला की हाल जमाबन्दी में वादीया के पिता व प्रतिवादी संख्या 6 के पति गटु मीणा के फोत हो जाने के पश्चात विरासती आराजी में प्रतिवादी संख्या 6 के साथ कचरी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि कचरी नाम की गटू की कोई लडकी नहीं है। वादीया गटू की लडकी होकर विधिक वारिसान होने के बावजुद वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने पर वादीया ने राजस्व कर्मचारी से मिलकर गटू की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरण संख्या 1925 की प्रति परत निकलवाई तो पता चला की नामांतरण के समय राजस्व कर्मचारीयों ने भूलवंश वादीया का नाम अंकित नहीं कर कचरी नाम दर्ज कर दिया है। जबकि कचरी नाम की कोई लडकी नहीं हैं। ऐसे में वादीया ने राजस्व कर्मचारी व प्रतिवादीगण से मिलकर राजस्व रेकोर्ड दुरस्त करने की बात कही लेकिन प्रतिवादीगण ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्व कर्मचारी से निवेदन कर रिकॉर्ड दूरस्त करने की बात की लेकिन रिकॉर्ड दूरस्त नहीं किया गया। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक हैकि प्रतिवादीगण वादीया को मात्र राजस्व कर्मचारीयों की गलती के आधार पर वादग्रस्त आराजी ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीधा 16 बिस्वा से बेदखल न करे व राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर हाल जमाबंदी में दर्ज नाम हटाया जाकर वदीया का नाम दर्ज रिकॉर्ड किया जावे। इस प्रकार वादीया ने वाद प्रस्तुत कर उक्त दाद चाही है। जिसके बाद वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलबी हेतु नोटिस जारी किए गए। जिस पर दिनांक 22.10.2019 को वादीया एवं प्रतिवादीगण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीधा 16 बिस्वा में वादीया के पिता की मृत्यु पर खोले गए नामातंरण संख्या 1925 में वादीया की जगह कचरी पुत्री गटू नाम दर्ज कर दिया था। ऐसे में कचरी पुत्री गटू का नाम हटाया जाकर उनकी जगह वादीया का नाम दर्ज कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व नामान्तण संख्या 1925 को शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। जिसमें वादीया व प्रतिवादीगण ने राजीनामा के अनुसार वाद में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया।

विद्वान अभिभाषक ने बहस कर निवेदन किया उक्त वादग्रस्त भुमि का ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीधा 16 बिस्वा में खातेदार काश्तकार काबिज होकर काश्त कर रहे थे। लेकिन वादीया के पिता गटू की मृत्यु के पश्चात खोले गए नामान्तरणकरण संख्या 1925 में कचरी पुत्री गटू के नाम नामान्तरण दर्ज कर दिया।

कमशः पेज 3 पर

Scanned with CamScanner

ऐसे में कचरी पुत्री गटू के नाम को हटाया जाकर उसकी जगह वादीया का नाम दर्ज किये जावे तथा नामान्तरण संख्या 1925 को वादीया के विरुद शुन्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। तथा प्रकरण में ग्राम पंचायत पीठ सरपंच से भी वादीया ही गटू की वास्तविक पुत्री होने का तस्दीक शुदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। तथा रिकॉर्ड में दर्ज नाम कचरी पुत्री गटू नाम की कोई लडकी नहीं होना तस्दीक किया गया है। दोनो पक्षकारो का आपसी राजीनामा भी हो चुका है ऐसे वाद स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज हाल जमाबंदी, नामान्तरण संख्या 1925 की प्रमाणित प्रति व ग्राम पंचायत पीठ द्वारा जारी प्रमाण पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में वादीया का नाम दर्ज नही किया गया है। उसके स्थान पर कचरी पुत्री गटू गलत नाम दर्ज कर दिया है। ऐसे में कचरी पुत्री गटू का नाम हटाया जाकर उसकी जगह वादीया का नाम दर्ज कर ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझता हूं। तथा नामान्तरण सख्या 1925 को वादीया के विरुद शुन्य एवं प्रभावहिन धोषित किया जाना न्यायोचित है ।

आदेश

प्रकरण में दोनों पक्षकारगणों का आपसी राजीनामा होने से वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में वादीया का नाम पारिवारिक हिस्से के अनुसार दर्ज कर व हाल जमाबंदी में दर्ज कचरी पुत्री गटू का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

के. आर. खोड
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के. आर. खोड
उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजर कोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी के.आर.खोड सीमलवाडा

श्रीमती बबली बनाम श्री रामा वगैरह

दावा बाबतः– स्थायी निषेधाज्ञा 88, 188 व 209 राज.टी. एक्ट व धारा 136 भु राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बरः– 24/19

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :– श्री के.आर.खोड

व हाजरी :– बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई व कर्तव्य शाह मिनजानिब मुदायलाह की बहस सुनी गई पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि:–

ग्राम पीठ खाता संख्या 769 खसरा नम्बर कमशः 1925, 1926, 1935 खेत किता 3 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा में वादीया का नाम पारिवारिक हिस्से के अनुसार दर्ज कर व हाल जमाबंदी में दर्ज कचरी पुत्री गटू का नाम हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कर वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 27.02.2020 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड मजिस्ट्रेट ....
ओहदा सीमलवाडा ....

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुकमनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2020.03.06 14:38:08 IST
Reason: SelfAttested
Location: